छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

क्रमांक 01–04 / पीडी–छः / 2635 रायपुर, दिनांक 07-8-2013

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का) / पीडी–3 / 1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01–05 / पीडी–तीन / 1204 दिनांक 28.02.04, क्रमांक 01–04 / पीडी–तीन / 1343, क्रमांक 1345, दिनांक 25.03.08 एवं क्रमांक 01–04 / पीडी–छः / 2478 दिनांक 30.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित निम्नलिखित आवेदक को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये **कार्यभारित परिचारक श्रेणी–दो (लाइन)** के पद पर वेतनमान रूपये 9400–225–10525–450–15025–675–18400 / – के न्यूनतम निश्चित वेतन रूपये 9400 / – (रूपये नौ हजार चार सौ) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालय में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगी :–

क्र0	नाम सर्वश्री	पिता / पति का नाम (मृतक / अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहाँ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1.	तुलेश किशोर	हीरालाल श्रीवास परि0श्रेणी–एक (ला)	संचा0 / संधा0 संभाग अकलतरा	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, बिलासपुर
2.	दिलीप कुमार सोनी	बरमेश्वर प्रसाद सोनी वाहन चालक	संचा0 / संधा0 संभाग कोण्डागांव	मुख्य अभियंता (जग0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, जगदलपुर

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उक्त आवेदकों को दो वर्ष की लगातार संतोष प्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा ।

यह नियुक्ति कंपनी द्वारा समय समय पर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) / विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी साथ ही इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन / केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राहय किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे नियम उम्मीदवार को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारों पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01 / 47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर

क्रमांक 01–04 / पीडी–छः / 2636 रायपुर, दिनांक 07-8-2013

प्रतिलिपिः–

(1) कार्यपालक निदेशक ( ) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(2) मुख्य अभियंता ( ) छ0रा0वि0.............. कंपनी मर्या0 ....

(3) महाप्रबंधक ( ), छ०रा०वि० वित०/होल्डिंग कंपनी मर्या० रायपुर।
(4) अति० महाप्रबंधक (मा०सं०) छ०रा० विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर।
(5) उप महाप्रबंधक (मा०सं०), छ०रा० विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर।
(6) अधीक्षण यंत्री (........................) छ०रा० विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(7) कार्यपालन यंत्री (...........................) छ०रा० विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
(8) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी छ०रा० विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित ....
(9) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छ०रा० विद्युत कंपनी मर्यादित, रायपुर।
(10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ०रा० विद्युत .... कंपनी मर्यादित, रायपुर
(11) श्री ....
....

–को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टीप :– मुख्य अभियंता (EITC) कृपया इस आदेश को विद्युत कंपनी की अधिकारिक वेबसाईट में प्रकाशित करें।

2. उक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया जावे। जन्मतिथि का मिलान पांचवी,आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र से ही किया जावे।

3. पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथपत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसका पुत्र (विवाहित/अविवाहित) पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

4. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सालय के सक्षम/अधिकृत चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन पपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6. उम्मीदवारों को आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

7. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित की जावे।

8. परिचारक श्रेणी–दो (लाइन) के पद पर कार्य पर उपस्थिति स्वीकार करने के पूर्व यह ध्यान से देखा जावे कि उम्मीदवार लाइन के कार्य हेतु सक्षम है। उम्मीदवार की किसी भी तरह की विकलांगता पाये जाने की स्थिति में उसकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार न करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को उचित निर्देशार्थ प्रेषित किया जाये।

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें:–

(i) जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (हाईस्कूल परीक्षा/पॉचवी/ आठवी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।)

(ii) जिला चिकित्सालय के सहायक/सक्षम/अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र।

(iii) पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में उम्मीदवार को मृतक कर्मचारी की विधवा का यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका वह पुत्र (विवाहित/अविवाहित) जिसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित हैं एवं परिवार से अलग नहीं है।

(iv) दिनांक 25.03.08 के पश्चात मृतक कर्मचारी की विधवा/पुत्र/पुत्री जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के समय तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के विधवा के नाम जारी आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवार को यह घोषणा पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं ।

– पैरा 2 से 8 तक संबंधित कार्यालय प्रमुखों के लिये जिनके कार्यालय में पदस्थ किया गया है।
– पैरा 9 नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार के लिए।

संलग्नः– यथोपरि (संबंधित कार्यालयों के लिए जहां पदस्थ किया जाता है।)

प्रबंधक (मा0सं0)–छः
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर